1

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग,
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

पत्र संख्याः–टी 3/योजना–32/2011– 1716 पटना, दिनांक– 24.8.15

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

विषयः– बिहार कौशल विकास के लिये वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 19.0456 करोड (उन्नीस करोड़ चार लाख छप्पन हजार) सहायक अनुदान के रूप में बिहार कौशल विकास मिशन को राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

राज्य के युवाओं को कौशल ज्ञान प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने एवं राज्य में कौशल उन्नयन हेतु आवश्यक परामर्श एवं कार्रवाई के निमित्त बिहार कौशल विकास मिशन का गठन एक सोसायटी के रूप में किया गया है, जो राज्य के युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण कौशल विकास करने वाले तंत्र की क्षमता का निर्माण एवं संवर्द्धन करने का कार्य करेगा। प्राप्त राशि से बिहार कौशल मिशन के संस्थागत व्यय, श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाये जाने वाले कौशल विकास कार्यकमों तथा वैसे प्रक्षेत्र जिसमे किसी विभाग द्वारा कौशल उन्नयन का कार्य नहीं किया जा रहा है, को चिन्हित कर श्रम संसाधन विभाग द्वारा कौशल विकास के लक्ष्य प्राप्ति हेतु निधि की अन्तर राशि (फण्ड–गैप) पर व्यय किया जायेगा। इस आलोक में रू0 19.0456 करोड़ (उन्नीस करोड़ चार लाख छप्पन हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति दी जाती है। यह स्वीकृति प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति के उपरांत दी जा रही है।

2– स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2230–श्रम और रोजगार, 03–प्रशिक्षण, 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, मांग संख्या 26, 0129 बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड पी0–2230030030129 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि रू0 19.0456 करोड़ (उन्नीस करोड़ चार लाख छप्पन हजार) सहायक अनुदान के रूप में निम्न प्रकार प्रावधानित है, से विकलनीय होगा–

विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (लाख में)
31 04 सहायक अनुदान–वेतन	22.00
31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	1882.56
योग	1904.56

(रू0 उन्नीस करोड़ चार लाख छप्पन हजार) मात्र।

3– वित्तीय वर्ष 2015–16 में कौशल विकास मिशन योजना के अन्तर्गत रू0 (उन्नीस करोड़ चार लाख छप्पन हजार) मात्र का बजट उपबन्ध उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष में राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखा जाएगा।

4– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना से होगी।

5– बिहार कौशल विकास मिशन सोसायटी उपरोक्त राशि का व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगी।

6– इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक प्रावैद्यिक शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना (मुख्यालय) होगें। राशि की निकासी कर बिहार कौशल विकास मिशन सोसायटी के पी0एल0 एकाउण्ट में रखी जाएगी।

7– प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

8– स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–टी 3/योजना–32/ 2011 के पृ0–......18..../टि0 पर प्राप्त है।

(अशोक कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–32/2011– 1716 पटना, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–32/2011– 1716 पटना, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/ प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, शहरी एवं नगर विकास विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/ प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रावैद्यिकी विभाग/सचिव, ग्रामिण विकास विभाग/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/सचिव, समाज कल्याण विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सचिव, पर्यटन विभाग/ कारा महानिरीक्षक, बिहार/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक प्रावैद्यिक शिक्षा, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना (मुख्यालय)/बजट शाखा/लेखा एवं व्यय शाखा (प्रशिक्षण पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।